न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :-92/2015/भीलवाडा (2015/00031)

1. श्री गोपाल दत्तक पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी भैरू खेडा, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा, नाबालिग जरिये संरक्षक गणेश आत्मज देवा गुर्जर निवासी खेपडा खेडा, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलांट

बनाम

1. श्री सोराम पुत्र नानू गुर्जर,
2. श्रीमती लाली पुत्री नानू गुर्जर,
3. श्रीमती राजू गोद पुत्र जमनी जाति गुर्जर
4. श्रीमती रामू पुत्री प्रताप गुर्जर
5. श्रीमती गंगा पुत्री प्रताप गुर्जर
   समस्त निवासी भैरूखेडा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाडा।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 20.04.2015 अंतर्गत अपील संख्या 70/2014.

उपस्थितः-

1. श्री शिव प्रकाश चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 अनुपस्थित ।
3. राजकीय अभिभाषक बी0एस0 शेखावत उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :- 11.12.2019

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

अपीलांट ने यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.04.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

Scanned by CamScanner

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने प्रथम अपील जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के समक्ष अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि छीतर और हगामी देवी आपस में पति पत्नी है। छीतर और हगामी के कोई संतान नहीं होने से अपीलांट को दो वर्ष की उम्र में गोद ले लिया। अपीलार्थी के गोद पिता छीतर की दिनांक 15.07.2008 एवं गोद माता हगामी की दिनांक 25.02.2014 को मृत्यु हो गई। हगामी देवी ने अपने जीवन काल में दिनांक 15.06.2012 को अपीलार्थी के पक्ष में गोदनामा निष्पादित किया। अपीलार्थी गोदपुत्र की हैसियत से हगामी देवी की आराजीयात का नामान्तरकरण अपने नाम कराने के लिए पटवार हल्का जोरावरपुरा के समक्ष आवेदन पेश किया। इस पर रेस्पो0 सं0 1 सोराम ने पटवार हल्का के समक्ष आवेदन किया कि अपीलार्थी हगामी का गोदपुत्र नहीं है और रेस्पो0सं0 1 से 5 वारिस है। इस पर तहसीलदार, माण्डल ने भू0अभि0निरी0 को मौके की वस्तुस्थिति मंगवाने का आदेश दिया। तहसीलदार, माण्डल द्वारा भू0अ0निरी0 की रिपोर्ट पर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। रेस्पो0 सं0 1 से 5 के पक्ष में नामा0 दर्ज करने का आदेश दिया। विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने आदेश दिनांक 20.04.2015 द्वारा अपील अस्वीकार की गई। अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने एवं अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की वहस सुनी गई । xx

3- विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के अभिभाषक ने जिला कलक्टर, भीलवाडा केआदेश दिनांक 20.04.15 की प्रति दिनांक 15.05.15 को प्राप्त कर ली थी परन्तु अपीलांट नावालिग होने से उनके सरंक्षक गणेश द्वारा समय पर अपने अभिभाषक से सम्पर्क नहीं किया व बारिश होने से अपने खेती वाडी के कार्यो में व्यस्त हो गया। दिनांक 11.07.15 को अभिभाषक से मिलने पर वताया कि अपील अजमेर करनी पडेगी। दिनांक 12.07.15 का सार्वजनिक अवकाश होने से उपरोक्त अपील दिनांक 13.07.15 को पेश की गई। अपील में हुआ विलंव सद्भाविक है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

4- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने वहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने ग्राम भैरूखेडा में अवस्थित आराजी जमाबंदी खाता सं0 29, 30, 80, 81, 155 में वर्णित आराजीयात का खातेदार छीतर गुर्जर था। छीतर गुर्जर के देहान्त होने के पश्चात उक्त आराजी विरासत के आधार पर उनकी पत्नी हगामी वेवा छीतर गुर्जर के नाम पर रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज हुई। हगामी वेवा छीतर का देहान्त होने के पश्चात अपीलांट ने तहसीलदार, माण्डल के समक्ष प्रार्थना पत्र

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि छीतर, हगामी आपस मे पति पत्नी है, उनके कोई संतान नहीं होने से मुझ अपीलांट को हगामी देवी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 15.06.12 को अपीलार्थी के पत्र में गोदनामा निष्पादित किया था। अपीलार्थी गोदपुत्र की हैसियत से हगामी देवी की आराजयीत का नामान्तरकरण अपने नाम करवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। रेस्पो0 सं0 1 श्योराम द्वारा भी एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि हगामी पत्नी छीतर मेरी काकी है। हगामी के कोई जाईन्दा वारिस नहीं होनपे से हम ही वारिस है इसलिए हगामी के स्थान पर हम वारिस होने से विरासती इन्तकाल हमारे नाम दर्ज किया जावें। तहसीलदार, माण्डल द्वारा भू0अ0निरी0 की रिपोर्ट पर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 12.11.14 को खारिज कर रेस्पो0 के नाम विरासत के आधार पर नामा0 खोलने का आदेश पारित कर दिया। xx

5- विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि तहसीलदार, माण्डल के द्वारा निर्णय दिनांक 12.11.14 में यह उल्लेख किया कि पक्षकारान ने अपने शपथ पत्र बाबत बयान पेश किए, जिसे शामिल मिसल किया गया परन्तु तसहीलदार ने कोई बयान दर्ज नहीं किए अर्थात बिना बयान लिए ही अपीलांट के गोदनामे को साबित नहीं होना मानते हुए निर्णय पारित किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त व पूर्ण साक्ष्य के अभाव मे काबिल निरस्तनीय है। तहसीलदार, माण्डल द्वारा भू0अ0निरी0 से मौका रिपोर्ट प्राप्त की वह एक्स पार्टी है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के तहत दोनों पक्षो को सुनकर मौका रिपोर्ट बनानी चाहिए। एक पक्षीय मौका रिपोर्ट मेरे विरूद्ध नहीं पढी जा सकती। तहसीलदार, माण्डल एवं विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाडा ने गोदनामे पर विचार ही नहीं किया ना ही गोदनामे पर सुना। जिला कलक्टर, भीलवाडा ने सरसरी तौर पर सिर्फ यह कहते हुए अपीलांट की अपील दिनांक 20.01.15 को खारिज कर दी कि गोदनामे को सिविल न्यायालय में पेश कर ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर प्रकरण जिला कलक्टर, भीलवाडा को इस निर्देश के प्रतिप्रेषित किया जावे कि प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में RRD 1984 P-111, AIR 1981 SC P-3222 (Pera-11) के न्यायिक दृष्टांत पेश किये । xx

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

6- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांटस की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है । xx

7- प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं अपीलांटस के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। बाद अवलोकन इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलांट गोपाल द्वारा प्रस्तुत गोदनामा (फोटो प्रति) रजिस्टर्ड नहीं होकर नोटेरी कराया गया।

Scanned by CamScanner

अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध मौका पर्चा दिनांक 30.05.14 पर रिपोर्ट है कि अनरजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर गोपाल दत्तक पुत्र छीतर गुर्जर के नाम दर्ज करवाने चाहते है। जिसकी साक्ष्य में गोपाल के पिता श्री गणेश गुर्जर के हस्ताक्षर है। दूसरी मौका पर्चा दिनांक 17.09.14 में अंकित है कि हगामी पत्नी छीतर गुर्जर नि0 भैरूखेडा की मृत्यु होने के पहले हगामी की सेवा चाकरी सोराम व लाली द्वारा ही की जाती रही है एवं मृत्यु पश्चात भी अंतिम कियाकम व सामाजिक रिती रिवाज से पगडी दस्तूर की रस्म भी सोराम व लाली द्वारा किया जाना उपस्थित मौतबिरान ने बताया। हगामी के संपूर्ण हक हिस्से पर वर्तमान सोराम व लाली द्वारा कब्जा होना अंकित किया गया है। अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में अभिलिखित किया है कि गोदनामे के विवाद को अंतिम विनिश्चय करने के लिए सिविल न्यायालय सक्षम है से हम सहमत है। अधी0न्याया0 (जिला कलक्टर, भीलवाडा) के निर्णय में हमें कोई हस्तक्षेप करने का कोई विधिक कारण प्रतीत नहीं होता है ।

8- अतः उपरोक्त विवेचन के कम में अपील अपीलांट निरस्त योग्य तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 20.04.2015 यथावत् योग्य पाया जाता है ।

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 92/2015 (2015/00031) बउनवानी गोपाल बनाम सोराम व अन्य को निरस्त किया जाता है तथा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपील संख्या 77/2014 बउनवान गोपाल बनाम सोराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.04.2015 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2019.12.13 20:35:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: